

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	<p>ने अपने बाद के नोट-ड्रेम करने का आग्रह किया। पुनः जमा। स्वीकार किया जाता है। बाद के अग्रिम कार्यवाही शेष की जाकर बाद नोट-ड्रेम किये जाने पर धारित किया जाता है। पञ्जाबी नैपल हुमाद होकर नम्बर से कम है तथा बाद वकालत लेख भण्डार हो।</p>	

